रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253081
CG-DL-E-15032024-253081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1348] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
No. 1348] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1414(अ).—जबकि, फारूक रहमानी की अध्यक्षता वाली जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (इसके बाद जेकेपीएफएल के रूप में संदर्भित) विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त है, जो कि देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं;

और, जबकि, जेकेपीएफएल के सदस्य जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और पृथकतावाद का बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं;

और, जबकि, जेकेपीएफएल के नेता और सदस्य जम्मू-कश्मीर में पृथकतावादी, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने सहित, गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं;

और, जबकि, जेकेपीएफएल और इसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश के संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सरासर अनादर दिखाते हैं;

और जबकि, जेकेपीएफएल राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होकर जम्मू एवं कश्मीर के भारत से पृथक्करण को उकसाने और बढ़ावा देने; लोगों में वैमनस्य का बीज बोने; लोगों को कानून और व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए प्रेरित करने; जम्मू एवं कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए हथियार उठाने और स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने में शामिल है;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यदि जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल) की गैर-कानूनी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश या नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो वह इस अवसर का उपयोग निम्नलिखित के लिए करेगा –

(i) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के लिए; जो कि देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं;

(ii) भारत संघ में इसके विलय पर विवाद खड़ा करते हुए जम्मू एवं कश्मीर को भारत संघ से अलग करने की लगातार वकालत जारी रखने के लिए; और

(iii) भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के बीच झूठी कहानी गढ़ने और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखने के लिए;

और, जबकि, उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल) की गतिविधियों को देखते हुए, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है;

अब, इसलिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपयुक्त परिस्थितियों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के शर्ताधीन, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 14017/16/2024-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1414(E).—Whereas, the Jammu and Kashmir Peoples Freedom League (hereinafter referred to as the JKPFL), chaired by Mohammad Farooq Shah @Farooq Rehmani is indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty, and security of the country;

And, whereas, members of the JKPFL have remained involved in supporting terrorist activities and anti-India propaganda for fuelling secessionism in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of JKPFL have been involved in mobilising fund for perpetrating unlawful activities, including supporting secessionist, separatist and terrorist activities in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the JKPFL and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And, whereas, JKPFL is involved in promoting, aiding and abetting secession of Jammu and Kashmir from India by involving in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise law and order; encouraging the use of arms to separate Jammu and Kashmir from the Union of India and promoting hatred against established Government;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Jammu and Kashmir Peoples Freedom League (JKPFL), it will use this opportunity to –

(i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;

(ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir form the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and

(iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Jammu and Kashmir Peoples Freedom League (JKPFL), it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Peoples Freedom League (JKPFL) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu and Kashmir Peoples Freedom League (JKPFL) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Peoples Freedom League (JKPFL) as an 'unlawful association' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/16/2024-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.13 23:25:25 +05'30'